Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding setting up of modern slaughter houses in Moradabad and other cities of Uttar Pradesh.

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही जटिल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । एन.जी.टी. के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से स्लाटर हाउसेज उत्तर प्रदेश और बाकी जगहों के बंद कर दिए हैं, जिनकी आज तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई । हजारों लोग बेरोजगार हो गए । मुरादाबाद का स्लाटर हाउस 31 दिसंबर, 2013 को बंद किया गया । साढ़े पांच साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई, लोग बेरोजगार हो गए । इनकी जीविका चलाने के लिए ये भुखमरी के कगार पर आ गए ।

अध्यक्ष जी, अगर ये कहीं से मीट लेकर आते हैं और बेचते हैं तो पुलिस का टार्चर झेलते हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से दरख्वास्त है कि जब तक मॉडल स्लाटर हाउस एस्टेब्लिश हो, तब तक इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि इन लोगों का रोजगार चल सके और कन्ज्यूमर्स को उसका फूड मिल सके ।